केन्द्रीय स्थापना अनुभाग / CENTRAL ESTABLISHMENT SECTION
भारतीय रिज़र्व बैंक / RESERVE BANK OF INDIA
कोलकाता /कोलकाता

बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

शुद्धिपत्र

भारतीय रिज़र्व बैंक कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय में एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान करना

ई-टेंडर नंबर: 2026_RBI_292975_1 [एएलएस एम्बुलेंस के लिए ई-टेंडर]

शीर्षक वाली निविदा के संदर्भ में, निविदा दस्तावेज के निम्नलिखित निविदा मद/खंड/बिंदु संख्या को संशोधित/संशोधित किया गया है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

पैरा	प्रासंगिक निविदा आइटम / खंड / लाइन के तहत धारा / पैरा	अब मौजूदा निविदा मद/खंड/लाइन के जोड़ने/संशोधन के बाद के रूप में पढ़ें
पैरा 13 के तहत निविदा आमंत्रित करने की सूचना	13.1 भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता के पक्ष में आहरित अनुसूचित बैंक द्वारा जारी एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के माध्यम से **23 नवंबर, 2026 (सोमवार) (सुबह 11 बजे तक)** को ₹60,000 (60,000 रुपये मात्र) की बयाना राशि जमा (ईएमडी) जमा की जानी चाहिए। ईएमडी के बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। असफल विक्रेताओं के ईएमडी को एक	13.1 भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता के पक्ष में आहरित अनुसूचित बैंक द्वारा जारी एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के माध्यम से **30 नवंबर, 2026 (सोमवार) (सुबह 11 बजे तक)** को ₹60,000 (60,000 रुपये मात्र) की बयाना राशि जमा (ईएमडी) जमा की जानी चाहिए। ईएमडी के बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। असफल विक्रेताओं के ईएमडी को एक

(एनआईटी) (धारा V) बयाना धन जमा	सफल विक्रेता को अनुबंध देने के 15 दिनों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। विक्रेताओं के ईएमडी को उनकी प्रतिबद्धता/कोटेशन का सम्मान नहीं करने वाले क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, कोलकाता के विवेक पर जब्त किया जा सकता है, जो अपनी कार्रवाई के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। ईएमडी के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा अनुलग्नक V में दिया गया है। 13.2 ईएमडी जमा करने के बाद, पुष्टि की एक पंक्ति, जिसमें ई-टेंडर का नाम बताया गया है जिसके लिए ईएमडी जमा किया गया है, और अन्य सभी आवश्यक विवरण ceskolkata@rbi.org.in को एक ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं; rajarshiadhikari@rbi.org.in, vungtheiching@rbi.org.in; और sujatarai@rbi.org.in ईओडी **द्वारा 23 नवंबर, 2026 (सोमवार)।**	सफल विक्रेता को अनुबंध देने के 15 दिनों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। विक्रेताओं के ईएमडी को उनकी प्रतिबद्धता/कोटेशन का सम्मान नहीं करने वाले क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, कोलकाता के विवेक पर जब्त किया जा सकता है, जो अपनी कार्रवाई के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। ईएमडी के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा अनुलग्नक V में दिया गया है। 13.2 ईएमडी जमा करने के बाद, पुष्टि की एक पंक्ति, जिसमें ई-टेंडर का नाम बताया गया है जिसके लिए ईएमडी जमा किया गया है, और अन्य सभी आवश्यक विवरण ceskolkata@rbi.org.in को एक ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं; rajarshiadhikari@rbi.org.in, vungtheiching@rbi.org.in; और sujatarai@rbi.org.in ईओडी द्वारा **30 नवंबर, 2026 (सोमवार)।**

2. इसके अलावा, निविदा जमा करने/खोलने की समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, तदनुसार निविदा (एसओटी) (खंड I, पैरा 6) के लिए अनुसूची के प्रासंगिक पैरा में संशोधन निम्नानुसार हैं:

<table>
<tr><th></th><th>पैरा</th><th>प्रासंगिक निविदा आइटम / खंड / लाइन के तहत धारा / पैरा</th><th>अब मौजूदा निविदा मद/खंड/लाइन के जोड़ने/संशोधन के बाद के रूप में पढ़ें</th></tr>
<tr><td>V</td><td>v. बयाना धन जमा (केवल एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के माध्यम से)</td><td>₹60,000/- (रुपये साठ हजार मात्र)

a) NEFT

<table><tr><td>लाभार्थी खाता संख्या:</td><td>186003001</td></tr><tr><td>आईएफएससी:</td><td>RBIS0KLPA01 (5वें स्थान पर संख्यात्मक शून्य और बाएं से 10वें स्थान पर)</td></tr><tr><td>लाभार्थी का नाम:</td><td>भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता</td></tr></table>
ख) डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी:

भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में भौतिक रूप में सुपुर्दगी की जाएगी:

भारतीय रिज़र्व बैंक
15, नेताजी सुभाष रोड,
फेयरली प्लेस, बी.बी.डी. बाग,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700001</td><td>₹60,000/- (रुपये साठ हजार मात्र)

a) NEFT

<table><tr><td>लाभार्थी खाता संख्या:</td><td>186003001</td></tr><tr><td>आईएफएससी:</td><td>RBIS0KLPA01 (5वें स्थान पर संख्यात्मक शून्य और बाएं से 10वें स्थान पर)</td></tr><tr><td>लाभार्थी का नाम:</td><td>भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता</td></tr></table>
ख) डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी:

भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में भौतिक रूप में सुपुर्दगी की जाएगी:

भारतीय रिज़र्व बैंक
15, नेताजी सुभाष रोड,
फेयरली प्लेस, बी.बी.डी. बाग,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700001</td></tr>
</table>

		नोट: एमएसएमई/उद्यम पंजीकृत विक्रेताओं को ईएमडी के भुगतान से कोई छूट नहीं है। ईएमडी भेजने का प्रमाण सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है और आवश्यक विवरण के साथ एक पुष्टिकरण मेल ceskolkata@rbi.org.in पर मेल किया जाना है; rajarshiadhikari@rbi.org.in; vungtheiching@rbi.org.in; और SujataRai@rbi.org.in; **23 नवंबर, 2026 (सोमवार) के ईओडी को या उससे पहले**।	**नोट:** एमएसएमई/उद्यम पंजीकृत विक्रेताओं को ईएमडी के भुगतान से कोई छूट नहीं है। ईएमडी भेजने का प्रमाण सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है और आवश्यक विवरण के साथ एक पुष्टिकरण मेल ceskolkata@rbi.org.in पर मेल किया जाना है; rajarshiadhikari@rbi.org.in; vungtheiching@rbi.org.in; और SujataRai@rbi.org.in; **30 नवंबर, 2026 (सोमवार) के ईओडी पर या उससे पहले**।
	x. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि और समय	**23 नवंबर, 2026 (सोमवार) (सुबह 11 बजे तक)**	**30 नवंबर, 2026 (सोमवार) (सुबह 11 बजे तक)**
	xi. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय	**23 नवंबर, 2026 (सोमवार) (दोपहर 12 बजे तक)**	**30 नवंबर, 2026 (सोमवार) (दोपहर 12 बजे तक)**
	xii. अ. भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) के खुलने की तिथि और समय	**25 नवंबर, 2026 (बुधवार) (दोपहर 12 बजे से)** निविदा का भाग II केवल उन बोलीदाताओं के लिए खोला जाएगा जो भाग I प्रस्तुतियों की जांच पर पात्र पाए जाते हैं। पात्र बोलीदाताओं को ईमेल के माध्यम से अलग से सूचित किया जाएगा	**01 दिसम्बर, 2026 (मंगलवार) (दोपहर 12 बजे से)** निविदा का भाग II केवल उन बोलीदाताओं के लिए खोला जाएगा जो भाग I प्रस्तुतियों की जांच पर पात्र पाए जाते हैं। पात्र बोलीदाताओं को ईमेल के माध्यम से अलग से सूचित किया जाएगा

	आ. भाग II के खुलने की तिथि (मूल्य बोली)		

निविदा के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

बैंक इन तिथियों में कोई और संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कृपया किसी भी अपडेट के लिए आरबीआई की वेबसाइट देखें।

नोट: यह शुद्धिपत्र बोली दस्तावेज/समझौते का हिस्सा होगा। बोली दस्तावेज के बाकी नियम और शर्तें और विनिर्देश समान रहेंगे। उपरोक्त संशोधन/स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं के लिए जानकारी के लिए जारी किए जाते हैं। फर्म द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने का अर्थ बोली दस्तावेज और ऊपर दिए गए संशोधनों/स्पष्टीकरणों के अनुरूप माना जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
कोलकाता